



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226576
CG-DL-E-13042021-226576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1473]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943

No. 1473]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 1584(अ).—पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा उनके संकल्प संख्या 240 दिनांक 26.03.2021 के अंतर्गत श्रीमती गुंजन गुप्ता, निगम पार्षद, वार्ड – 18 ई- आनंद विहार के चयन के परिणामस्वरूप श्रीमती गुंजन गुप्ता दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (डी) के अंतर्गत, परिषद् में उनके चयन की तिथि से चार वर्ष की अवधि अथवा जब तक वह पूर्वी दिल्ली नगर परिषद् के पार्षद के पद पर बनी रहती हैं, जो भी पहले हो, के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् की सदस्य होंगी।

[फा. सं. एफ-2(1)2004/एसी/एमसी/डीडीए]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 1584(E).—Consequent upon election of Smt. Gunjan Gupta, Municipal Councillor, Ward—18E – Anand Vihar, by East Delhi Municipal Corporation, vide its Resolution No. 240 dated 26.03.2021, Smt. Gunjan Gupta shall be a Member of Advisory Council of Delhi Development Authority under clause (d) of sub-section (2) of Section 5 of Delhi Development Act, 1957, for a period of four years from the date of her election to the Council or until she ceases to be a Councillor of East Delhi Municipal Councillor, which ever event takes place earlier.

[F.No. F.2(1)2004/AC/MC/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.